मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ

लाजिस्टिक्स इकाई, सिग्नेचर भवन, पंचम तल, टावर–1 गोमतनीनगर विस्तार फेज–2 लखनऊ
(फैक्स नम्बर–0522–2724030)

संख्या : लाजि0–एम0टी0–20 /2021 (आ0चा0 चयन)

सेवा में,

दिनांकः जुलाई 05 ,2021

1. **पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय कमिश्नरेट– लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/गौतमबुद्धनगर**
2. **समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक ।**
3. **समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनी ।**

कृपया अवगत कराना है कि आरक्षी चालक के चयन वर्ष 2019 एवं चयन वर्ष 2020 के रिक्त पदो के सापेक्ष चयन की कार्यवाही की जानी है।

2– उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सरकारी सेवा नियमावली–2015 के नियम–5(क) में **आरक्षी चालक के पद पर चयन हेतु ऐसे आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पीएसी पात्र होगें** जो निम्न शर्ते पूर्ण करते हों:–

1. चयन वर्ष के प्रथम दिवस को 32 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हों
2. अच्छे स्वास्थ्य का हो और बगैर चश्में या सहायता के ऑखो की दृष्टि 6/6 हो

3– पूर्व में आरक्षी चालक के पद से प्रत्यावर्तित न हुआ हों।

4– मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत भारी तथा हल्के वाहनो का ड्राइविंग लाइसेन्स धारक होना अनिवार्य हैं ।

5– भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को 03 वर्ष की सेवा (प्रशिक्षण केन्द्र में किये गये प्रशिक्षण की अवधि को छोड़कर) पूर्ण कर ली हों ।

6– विगत पॉच वर्षो की अवधि में:–

(एक) सत्यनिष्ठा रोकी न गयी हो, या
(दो) कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, या
(तीन) दो या उससे अधिक लघु दण्ड न मिले हों ।

7–विगत तीन वर्षो की अवधि में:–

(एक) कोई लघु दण्ड न मिला हो, या
(दो) दो या उससे अधिक छोटे दण्ड न मिले हों, या
(तीन) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हों ।

3– **नामांकन भेजते समय निम्नांकित निर्देशो का कड़ाई से पालन किया जाय:–**

1-नामांकित आरक्षी के स्वास्थ्य परीक्षण (विशेषतः दृष्टि परीक्षा) नमांकन भेजने के पूर्व ही करा लिया जाय तथा दृष्टि परीक्षा का परिणाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय अर्थात दृष्टि परीक्षा के परिणाम ठीक है, आदि अंकित न करके चिकित्सक द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र में दृष्टि परीक्षा का परिणाम अंको में अंकित किया जाय। यदि दृष्टि परीक्षा में आरक्षी कलर ब्लाइन्ड पाया जाता है तो चिकित्सा प्रमाण पत्र में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय (नामांकन के साथ चिकित्सा प्रमाण अवश्य संलग्न किया जाय ।

2- वाहन चालन कार्य के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।

3. इस निर्देश का जनपदो/वाहिनियो/इकाईयो में व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय ताकि किसी भी इच्छुक/पात्र आरक्षी का नामांकन छूटने न पाये ।
4. प्रत्येक चयन वर्ष का कट आफ डेट 01 जुलाई हैं ।
5. आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पीएसी के अतिरिक्त आरक्षी आरमोरर एवं आरक्षी घुड़सवार पुलिस उक्त चयन में सम्मिलित नही किये जायेगें ।

6. जो आरक्षी चयन वर्ष 2019 में पात्र होगा उसका नामांकन चयन वर्ष 2019 में तथा जो आरक्षी चयन वर्ष 2020 में पात्र होगा उसका नामांकन चयन वर्ष 2020 में भेजा जोगा। जो आरक्षी दोनो चयन वर्षो में पात्र होगा उसका नामांकन चयन वर्ष 2019 में भेजा जायेगा। किसी भी दशा में किसी कर्मी का नाम दोनो चयन वर्षो में प्रेषित नही किया जायेगा।

7. नामांकन के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी जाय कि प्रारूप में अंकित सभी सूचनाए सर्व प्रकार सही–सही अंकित की गयी है एवं अंकित की गयी सूचना में कोई त्रुटि नही हैं। विशेषकर जन्मतिथि एवं भर्ती तिथ का मिलान इनके अभिलेखो से अवश्य कर लिया जाय।

8. पूर्व में प्राप्त नामांकन का परीक्षण किया गया तो पाया गया था कि बहुताय वाहिनियों द्वारा ऐसे कर्मियों के नामांकन भेजे गये थे, जिनके पास मात्र हल्के वाहन चलाने के लाइसेन्स थे । जिससे यह स्पष्ट करना है कि नामित किये जाने वाले कर्मियो के पास हैवी एवं हल्के दोनो वाहनों के वैध लाइसेन्स होने अनिवार्य है। कुछ वाहिनियों द्वारा ऐसे भी कर्मियों के नामांकन उपलब्ध करा दिये गये थे जिनके हैवी लाइसेन्स की वैधता समाप्त हो गयी थी । नामांकन भेजने के पूर्व जनपद/वाहिनी स्तर पर नामित किये जाने वाले कर्मी के आयु, सेवा, चिकित्सा, दण्ड एवं लाइसेस की वैधता का परीक्षण कराकर पात्र कर्मियों के नामांकन ही मुख्यालय पर भेजे जायं।

9. प्रारूप–ए, एवं प्रारूप–बी तथा निर्देश इस कार्यालय के बेवसाईट **uppolice-police units-Logistics-carculer** पर प्रकाशित किया गया है, जहॉ से डाउनलोड किया जा सकता है।

4. **अतः आपसे अनुरोध है कि समस्त जनपदो/पीएसी वाहिनियो/इकाईयो से अर्हता पूर्ण करने वाले इच्छुक आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पीएसी का नामांकन** अंग्रेजी के TIMES NEW ROMAN FONT SIZE-10 में संलग्न प्रारूप–ए, एवं प्रारूप–बी में तैयार कर आवेदन पत्र, चिकिसा प्रमाण पत्र एवं भारी तथा हल्के वाहनो का ड्राइविंग लाइसेन्स की प्रमाणित पठनीय छायाप्रति सहित सम्बन्धित सहायक के माध्यम से निम्न तिथियों में मिलान हेतु साफ्ट/हार्ड कापी में उपलब्ध कराने का कष्ट करें । निर्धारित तिथि के उपरान्त नामांकन स्वीकार नही किये जायेगें, अतः समय सीमा का विशेष ध्यान दिया जाय।

कमांक	जनपद /इकाई/वाहिनी का नाम	नामांकन उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्धारित तिथि
1	1– आगरा /मेरठ /बरेली /कानपुर जोन के समस्त जनपद 2– **पीएसी पश्चिमी जोन के समस्त वाहिनी**	19.07.2021
2	1– गोरखपुर /लखनऊ /प्रयागराज /वाराणसी जोन के समस्त जनपद 2– **पीएसी मध्य जोन के समस्त वाहिनी**	20.07.2021
3	1– कमिश्नरेट– लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/गौतमबुद्धनगर 2– समस्त इकाई 3– **पीएसी पूर्वी जोन के समस्त वाहिनी**	21.07.2021

संलग्नकःप्रारूप ''ए'' एवं प्रारूप ''बी''

5.7.21

(एस0के0शुक्ला)
पुलिस अधीक्षक,''लाजिस्टिक्स''
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रतिलिपिः– समस्त विभागाध्यक्ष को सादर सूचनर्थ एवं उपरोक्तानुसार नामांकन प्रेषित किये जाने हेतु सादर प्रेषित हैं ।

2– **पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ** को सादर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया पीएसी वाहिनियों को निर्धारित तिथि तक सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करने की कृपा करें ।

आरक्षी चालक के चयन वर्ष 2019 हेतु पात्र आरक्षियों का नामांकनः– प्रारूप''ए''

क्र0 सं0	पी0एन0 ओ0 नं0	पदनाम	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	दिनांक 01–07–19 को आयु			भर्ती तिथि	प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त जनपद /वाहिनी में आमद की तिथि	दिनांक 01–07–19 को कुल सेवा (प्रशिक्षण अवधि को छोड़कर)			विगत 05 वर्षों में दिये गये दण्ड का विवरण (वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक)			विगत 03 वर्षों में दिये गये दण्ड का विवरण (वर्ष 2016 से वर्ष 2018 तक)			विभागीय कार्यवाही/पंजीकृत अभियोग का विवरण यदि कोई हो	दृष्टि परीक्षण का परिणाम 6/6 होना अनिवार्य है (कलर ब्लाइंड न होने का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।	हैवी एवं लाइट वेहिकल के लाइसेन्स धारक का स्पष्ट उल्लेख किया जाय	वर्तमान नियुक्ति स्थान	अभियुक्ति	अन्य विवरण
						वर्ष	माह	दिन			वर्ष	माह	दिन	दीर्घ दण्ड की संख्या व दण्ड के घटना की तिथि	दो या दो से अधिक लघु दण्ड की संख्या व दण्ड के घटना की तिथि	सत्यनिष्ठा रोकी गयी हो तो उसका वर्ष व उसका घटना की तिथि	लघु दण्ड की संख्या व दण्ड के घटना की तिथि	दो या दो से अधिक छुद्र दण्ड की संख्या व दण्ड के घटना की तिथि	सत्यनिष्ठा रोकी गयी हो तो उसका वर्ष व उसका घटना की तिथि						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

नोट– 1. उक्त सूचना अंग्रेजी के TIMES NEW ROMAN FONT SIZE-10 में प्रेषित किया जोयगा।

2. एक कर्मी की सूचना एक रो में प्रेषित किया जायेगा । किसी भी दशा में रो मर्ज नही किया जायेगा।

3. चयन वर्ष 2019 हेतु पात्र आरक्षियों का नामांकन प्रारूप–ए में उपलब्ध कराया जायेगा।

4. जो कर्मी दोनो चयन में पात्र है उनका भी नामांकन प्रारूप–ए में ही उपलब्ध कराना होगा।

5. प्रारूप के 12,13, एवं 14 में सेवा अवधि की गणना प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त जनपद /वाहिनी में आमद की तिथि से की जोयगी

आरक्षी चालक के चयन वर्ष 2020 हेतु पात्र आरक्षियों का नामांकनः— प्रारूप''बी''

क्र0 सं0	पी0एन0 ओ0 नं0	पदनाम	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	दिनांक 01–07–20 को आयु			भर्ती तिथि	प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त जनपद /वाहिनी में आमद की तिथि	दिनांक 01–07–20 को कुल सेवा (प्रशिक्षण अवधि को छोड़कर)			विगत 05 वर्षों में दिये गये दण्ड का विवरण (वर्ष 2015 से वर्ष 2019 तक)			विगत 03 वर्षों में दिये गये दण्ड का विवरण (वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक)			विभागीय कार्यवाही/पंजीकृत अभियोग का विवरण यदि कोई हो	दृष्टि परीक्षण का परिणाम 6/6 होना अनिवार्य है (कलर ब्लाइंड न होने का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।	हैवी एवं लाइट वेहिकल के लाइसेन्स धारक का स्पष्ट उल्लेख किया जाय	वर्तमान नियुक्ति स्थान	अभियुक्ति	अन्य विवरण
						वर्ष	माह	दिन			वर्ष	माह	दिन	दीर्घ दण्ड की संख्या व दण्ड के घटना की तिथि	दो या दो से अधिक लघु दण्ड की संख्या व दण्ड के घटना की तिथि	सत्यनिष्ठा रोकी गयी हो तो उसका वर्ष व उसका घटना की तिथि	लघु दण्ड की संख्या व दण्ड के घटना की तिथि	दो या दो से अधिक छुद्र दण्ड की संख्या व दण्ड के घटना की तिथि	सत्यनिष्ठा रोकी गयी हो तो उसका वर्ष व उसका घटना की तिथि						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

नोट– 1. उक्त सूचना अंग्रेजी के TIMES NEW ROMAN FONT SIZE-10 में प्रेषित किया जायेगा।
2. एक कर्मी की सूचना एक रो में प्रेषित किया जायेगा । किसी भी दशा में रो मर्ज नही किया जायेगा।
3. चयन वर्ष 2020 हेतु पात्र आरक्षियों का नामांकन प्रारूप–बी में उपलब्ध कराया जायेगा।
4. जिस कर्मी का नामांकन प्रारूप–ए में उपलब्ध कराया जा रहा है उस कर्मी का नामांकन प्रारूप–बी में नही उपलब्ध कराया जायेगा
5. मात्र चयन वर्ष 2020 में पात्र होनें वाले कर्मियों के नामांकन प्रारूप–बी में उपलब्ध कराया जायेगा
6. प्रारूप के 12,13, एवं 14 में सेवा अवधि की गणना प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त जनपद /वाहिनी में आमद की तिथि से की जोयगी